



# बाल-दीक्षा और जैनागम

लेखक—

श्रीचन्द्र रामपुरिया

प्रकाशक—

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा

२०१, हरीसन रोड, कलकत्ता ।

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

1-54

क्रम संख्या

काल सं.

मण्डल

## बालदीक्षा और जैनागम

गताङ्क में हमने यह दिखाने की चेष्टा की थी कि बीकानेर रियासत में 'बाल-दीक्षा रोक कानून' बनने की कोई जरूरत नहीं। चूँकि वहाँ जैनेतर जनता में दीक्षा जैसी कोई वस्तु प्रचलित नहीं, इसलिए उनको उद्देश्य कर, कानून बनानेकी जरूरत नहीं रहती। वहाँ की जैन जनता में अधिकांश भाग, तेरापन्थियों का है और उनमें शास्त्र विहित दीक्षा ही धर्मानुकूल तरीके से दी जाती है। तेरापन्थी सिवा अन्य जैन सम्प्रदायों में भी वहाँ दीक्षाएँ बहुत कम देखने में आती हैं, ऐसी हालत में 'बाल-दीक्षा' और 'बाल-दीक्षितों' के सम्बन्ध में गलतफहमियाँ फैला कर जो बीकानेर में "बाल दीक्षा कानून" बनाने की आवश्यकता बतलाई जाती है, वह अर्थ शून्य है।

बाल में "बाल दीक्षा विवेचन" नामक एक पुस्तक हमारे देखने में आई। यह पुस्तक श्री चम्पालालजी बाँठिया के बाल दीक्षा निषेधी आन्दोलन का ही एक अंश है और इसके लेखक हैं प० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए० शास्त्राचार्य, वेदान्त वारिधि, न्याय तीर्थ। पुस्तक में यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि बाल-दीक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से ही वर्जनीय नहीं परन्तु उसके पीछे धर्मशास्त्रों का भी आधार नहीं है। यह बात भी प्रतिपादन करने का साहस किया गया है कि जैनागमों में भी बाल दीक्षा का विरोध और निषेध है और उसके समर्थन में कतिपय सूत्रोंके यथाकथित दाखले भी दिये हैं। लेखक शास्त्राचार्य, वेदान्त वारिधि, न्याय तीर्थ ही नहीं परन्तु एम० ए० भी है इसलिये उनकी लिखी हुई बात की कीमत साधारण जनता द्वारा बहुत ऊँची आँकी जा सकती है। जहाँ तक हमारी धारणा है बाल दीक्षा जैनागम विहित है और उसके प्रचुर प्रमाण सूत्र-साहित्य में उपलब्ध हैं। ऐसी हालत में हमारा कर्तव्य है कि हम इस विषय को स्पष्ट करें जिससे साधारण जनता भूल भुलैया में न पड़े। हम यह भी चाहते हैं कि पंडितजी वास्तविक वस्तु-स्थिति को देखें और किसी उठाए हुए विषय के प्रतिपादन में केवल अप्रासंगिक सूत्र वचनों को उद्धृत कर ही दुनिया को भड़काने की चेष्टा न करें। बाल-दीक्षा के समर्थन में उपलब्ध प्रमाणों को उपस्थित करने के पहले हम उन प्रमाणों की मीमांसा करेंगे, जो कि शास्त्रीजी ने अपनी पुस्तक में उपयोग किये हैं।

पुस्तक के पृ० २६ पर पण्डितजी ने लिखा है "मूल आगमों में कई स्थानों पर बड़ी उम्र वाले को दीक्षा देने का कहा है। थोड़े उदाहरण यहाँ दिए जाते

हैं” —इसके बाद पण्डितजी ने जो उदाहरण दिये हैं उन्हें हम नीचे एक-एक कर क्रमशः देते हैं :—

१—मज्झिमेणं वयसा एगे सबुञ्जमाणा समुद्धिता

इसका अर्थ इस प्रकार किया है —“( युवा, प्रौढ़ तथा वृद्ध इन तीनों में ) मध्यम अर्थात् प्रौढ़ अवस्था वाला बुद्धि परिपक्व होने के कारण दीक्षा के विशेष योग्य होता है ।”

यह गाथा आचारंग सूत्र, अध्ययन ८, उद्देश ३ की पहली गाथा है । इस गाथा का वास्तविक अर्थ है :— “मध्यम वय मे कितनेक जीव प्रतिबोध पाकर दीक्षा लेते हैं ।”

पाठक देखेंगे कि इस गाथा में ‘बाल-दीक्षा’ के विरोध की कोई बात नहीं है, और न इस में यही कहा है कि बड़ी उम्र वाले को दीक्षा देनी चाहिए । इस गाथा में तो उनके लिए आशा भरी हुई है, जो मध्यम वय मे धर्म रुचि प्राप्त करने पर अपनी पूर्व आयु योंही व्यर्थ खो चुकने के लिये पश्चाताप करने और निराश होते हैं । ऐसे मध्यम वय वाले पुरुषों को उद्देश कर भगवान ने कहा है—“कितने ऐसे भी होते हैं जो मध्यवय मे प्रतिबोध पाकर दीक्षा लेते हैं ।” ऐसा कह कर भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं । तुम्हें उनके आदर्श का अनुकरण करना चाहिये, जो मध्यम वय मे बोध पाकर धर्म मे समुद्धित होकर प्रव्रजित हुए हैं । यहाँ पर हम दसवैकालिक सूत्र अ० ४ की निम्न लिखित गाथा की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित करते हैं जिससे हमारी बात की पुष्टि होगी और उपरोक्त उद्धरणका अर्थ और भी स्पष्ट हो जायगा ।

पच्छा वि ते पयाया खिण्णं गच्छन्ति अमरभवणां ।

जेसिं पियो तवो संजमो य खन्तीय बम्भचेरं च ॥गा० २८॥

जिन्हे तप, संयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय होता है, वे प्रव्रजित होने में देर कर चुके होने पर भी शीघ्र ही देवलोक को पहुँचते हैं । आचारंग सूत्र के पाठ में ‘एगे’ शब्द खास महत्त्व का है और उससे मध्यम वय दीक्षा के लिए मध्यम ही उहरता है उत्तम नहीं, क्योंकि थोड़े ही ऐसे होते हैं जो कि मध्यम वय तक विषय भोग

१—देखिए आचारंग सूत्र—प्रोफेसर रवजी भाई देबराज तथा जैन स्काटर्स कृत अनुवाद पृ० ११६;

में रक्त रह कर बाद में धर्म के प्रति दृढ़ रुचि धारण कर प्रबल पुरुषार्थ प्रकट कर सके ।

पण्डितजीने दूसरा दाखला ठाणांग सूत्र का दिया है । “ठाणांग सूत्र के दसवें ठाणे में दस प्रकार के मुण्ड बताए गए हैं—कान, नास, आँख, जीभ और स्पर्शन इन पाँच इन्द्रियों से मुण्डित अर्थात् इनके विषयों को जीतने वाला, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों से मुण्डित अर्थात् इन कषायोंको नष्ट कर देने वाला; और दसवाँ शिरोमुण्ड अर्थात् लोचकर सिर को मुण्डाने वाला । इसका अर्थ यही है कि क्रमशः नौ बातों में मुण्डित हो जाने पर फिर सिर मुण्डाना चाहिए ।”

पण्डितजी ने स्थानाङ्ग सूत्र के जिस पाठ का सहारा लिया है, वह मूल में इस प्रकार है

“दस मुंडा पन्नता प० नं—सोतिंदितमुंडे जाव फांसदित मुंडे कोहमुंडे जाव लोभमुण्डे दसमे सिरमुण्डे ( सू० ७४६ )”

इस पाठ को नवाङ्गी टीकाकार अभय देव मूरिने निम्न लिखित रूप से स्पष्ट किया है ।

सिद्धिगतिं मुण्डानामेव भवतीति मुण्डानिरूपणायाम्—‘दसे’ इत्यादि—मुण्डयति—अपनयतीति मुण्ड, स च श्रोत्रेन्द्रियादिभेदाद् दशधेति, शेषं सुगमं ।”

पाठक देखेंगे कि मूल पाठ व टीका में एक भी ऐसा शब्द नहीं, जिससे यह प्रतिपादित हो कि बाल दीक्षा शास्त्रों से अप्रमाणित है और न इस पाठ में इसका भी जरा सा भी संकेत है कि दीक्षा बड़ी उम्रवालों को ही देनी चाहिए । शास्त्रीजी ने यह पाठ शास्त्रों की अपनी जानकारी के प्रतीक रूप दिया हो तो भले ही वह शोभा दे अन्यथा वह सर्वथा अप्रासंगिक है और विषय प्रतिपादन में जरा भी अनुकूल नहीं है । पण्डितजी ने मुण्ड होने का जो क्रम ठहराया है वह भी अर्थ शून्य है ।

अब हम शास्त्रीजी के तीसरे प्रमाण पर विचार करते हैं । दसवैकालिक सूत्र का १० वाँ अध्ययन ‘स भिकवू’ नाम से प्रसिद्ध है । इस अध्ययन में साधु के आचार की ओर निर्देश करते हुए सच्चा साधु कौन है, इस विषय का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है । साधु के स्वरूप को बतलाने वाले इस अध्याय की ११ से १४ तथा १७ से १९ तककी गाथाओं को उद्धृत कर, निष्कर्ष रूप में पण्डितजी कहते हैं—“साधु बनने की उपरोक्त बातें आजकल छोटे बालकों में

आना कठिन ही नहीं असम्भव है।" स्थान की परवाह न कर हम उपरोक्त 'स भिक्षू' नामक दसवैकालिक सूत्र के १० व अध्याय की समूची गाथाओं का हू बहु अर्थ यहाँ देते हैं . --

“ज्ञानी पुरुषो के उपदेश से संसार-त्याग करने के बाद तीर्थङ्कर आदि बुद्ध पुरुषों के वचनोंमें नित्य समाधि भाव रखना चाहिए। जो भिक्षु होकर स्त्रियों के वश नहीं होता, जो वमन किये हुए को फिर से नहीं पीता, वही भिक्षु है ॥ १ ॥

जो पृथ्वी नहीं खाँदता और न खुदवाता है, जो खुद ठण्डा पानी नहीं पीता और न पिलाता है, जो अग्नि रूपी शस्त्रको खुद नहीं जलाता और न जलवाता है, वही भिक्षु है ॥२॥

जो पंखे आदि से खुद हवा नहीं लेता और न तिराता है, जो हरी वनस्पति को नहीं छेदता और न छिदाता है, जो बीजों का सदा वर्जन करता और मन्त्रिक का भोजन नहीं करता, वही भिक्षु है ॥ ३ ॥

पृथ्वी, तृण और काष्ठ में रहे हुए त्रस स्थावर जीवों का नाश होने से जो उद्देशिक आहार नहीं लेता तथा जो निजमें नहीं पकाता और न दूग्धों से पकवाता है, वही भिक्षु है ॥ ४ ॥

जो ज्ञात पुत्र—भगवान महावीर के वचनों पर श्रद्धा रख कर छः काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है जो अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है, जो पाँच आस्रवों का मन्त्रण अर्थात् निरोध करता है, वही भिक्षु है ॥ ५ ॥

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ—चार कषायों का परित्याग करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के वचनों पर दृढ़ विश्वासी रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता जो गृहस्थों के साथ कोई सासारिक स्नेह सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वही भिक्षु है ॥ ६ ॥

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्त्तव्य-विमूढ़ नहीं है, जो ज्ञान, तप और संयम का दृढ़ श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ॥७॥

जो नाना प्रकार के अन्न, पान, खाद्य और स्वाद्य को प्राप्त कर वे कल या परसों काम में आयेगे इस विचारसे उन्हें रातवासी नहीं रखता और नहीं रखाता है, वही भिक्षु है ॥ ८ ॥

जो विविध अन्न, पानी, खाद्य, स्वाद्य प्राप्त कर स्वेच्छा से सहधर्मियों को निमन्त्रित कर भोजन करता है और भोजन कर जो स्वाध्याय में लीन होता है, वही भिक्षु है ॥ ६ ॥

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अचंचल हैं, जो प्रशान्त है, जो संयम में ध्रुव योगी ( सर्वथा तल्लीन ) रहता है, जो संकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्त्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिक्षु है ॥ १० ॥

जो कान में काटे के समान चुभने वाले आक्रोश वचनों के प्रहारों को तथा अयोग्य उपालम्भों को शान्ति पूर्वक सह लेता है, जो भाषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को एक समान समभाव पूर्वक सहन करता है, वही भिक्षु है ॥ ११ ॥

जो श्मशान में पडिमा ग्रहण कर भयङ्कर रूप व शब्दों से नहीं डरता, जो नित्य विविध गुणों और तपो की आराधना में लीन रहता है और जो धर्मारोधन में शरीर की परवाह नहीं करता, वही भिक्षु है ॥ १२ ॥

जो अपने शरीर को बोसरा देता है, जो फटकारें जाने, माग जाने या जखम किये जाने पर पृथ्वी के समान समभावी होता है, जो फल की कामना नहीं करता और अकुतूहली होता है, वही भिक्षु है ॥ १३ ॥

जो शरीर से परिग्रहों को धैर्य के साथ सहन कर संसार-गर्त से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म मरण को महा भयङ्कर जान कर सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिक्षु है ॥ १४ ॥

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है। जो सदा अध्यात्म-चिन्तन में ही रत रहता है, जो अपने-आप को भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ का पूरा जानने वाला है, वही भिक्षु है ॥ १५ ॥

जो अपने संयम-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा ( आसक्ति ) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिक्षा मागता है, जो संयम-पथ में वाधक होने वाले दोषों से दूर रहता है, जो खरादने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धन्यों के फैर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिक्षु है ॥ १६ ॥

जो मुनि अलोलुप है, जो रसों में अगृह्य है, जो अज्ञात कुल की भिक्षा करता



है जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धिसत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह भी छोड़ देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है वही भिक्षु है ॥ १७ ॥

जो दूसरों को "यह दुराचारी है" ऐसा नहीं कहता, जा कट्टु वचन—जिस से सुनने वाला क्षुब्ध हो नहीं बोलता, "सब जीव अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख दुःख भोगते हैं"—ऐसा जान कर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आप को उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिक्षु है ॥ १८ ॥

जो जाति का अभिमान नहीं करता, जो रूप का अभिमान नहीं करता, जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत ( पाण्डित्य ) का अभिमान नहीं करता, जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है, वही भिक्षु है ॥ १९ ॥

जो महामुनि आर्य पद ( सद्धर्म ) का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है, जो घर-गृहस्थों के प्रपञ्च से निकल कर सदा के लिये कुशील लिंग ( निन्द्य वेश ) को छोड़ देता है, जो किसी के साथ हसी-ठट्टा नहीं करता, वही भिक्षु है ॥ २० ॥

इस भाँति अपने को मर्दव कल्याण पथ पर खड़ा रखने वाला भिक्षु अपवित्र और क्षणभङ्ग-शरीर में निवास करना हमेशा के लिये छोड़ देता है, जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काट कर अपुनरागम-गति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥२१॥'

पाठक देनेगे कि उपरोक्त अवतरण में एक भी ऐसा शब्द नहीं, जिसमें बर्दा उग्रवालों को दीक्षा देने का कहा हो या जिसमें बाल-दीक्षा को अयोग्य बतलाया गया हो। साधु-जीवन कठिन अवश्य है, परन्तु इसी कारण से वह बालक बालिकाओं के लिये अग्राह्य नहीं कहा जा सकता।

दुर्धर साधु जीवन की ऐसी महिमा है कि उसे ग्रहण कर जो अच्छी तरह पालन करता है, फिर चाहे वह बालक हो, यवान हो या बुढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काट कर अपुनरागम-गति मोक्ष को पाता है।

पण्डितजी आजकल के भोले बालकों के सम्बन्ध में जैसी धारणा रखते हैं, वंसी ही प्राचीन काल में उस समय के बालकों के सम्बन्ध में भी की जाती थी। परन्तु उस समय में भी ऐसे पुरुषार्थी बालक हुए, जिन्होंने इन गाथाओं में चित्रित उन्नत जीवन का अक्षरशः पालन कर जैन धर्म की यश और कीर्ति का भण्डा विगदिगन्त में फहराया और आज भी वैसे यशस्वी बालक होने संभव हैं। बहुत

प्राचीन काल में भी कहा जाता था—“भिक्षु को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं, शत्रु मित्र सब के प्रति समभाव रखना और पूर्ण अहिंसा का पालन करना दुष्कर है, यावज्जीवन झूठ का त्याग दुष्कर है; बिना दी हुई कोई वस्तु लेना दुष्कर है; यावज्जीवन के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करना दुष्कर है, सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग दुष्कर है, परिग्रह—कष्ट सहन करना दुष्कर है।” “तू सुकुमार, सुखो में उत्पन्न और पाला हुआ है—तू लोहभार का तरह उठाने में कठिन इन महान गुण समूह को कैसे उठा सकेगा?” साधु पालन को लोह भार की उपमा दी जाती थी, उसे बालू की तरह निरस बताया जाता था और तलवार की धार की तरह से तीक्ष्ण। परन्तु ऐसे प्रसंगों पर जो उत्तर मिलते थे वे भी ध्यान देने योग्य हैं। “जिसे इस लोक की पिपासा नहीं, उसके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं”—“श्रद्धा हमारे मार्ग को सरल करेगी।” जिनके हृदय में सच्चा वैराग्य छा जाता है, जो समाज से विरक्त हो मुक्ति के आभिलाषी हो जाते हैं उनके लिये साधु जीवन की कोई भी बात दुष्कर नहीं होती। भोगी को जहाँ भय लगता है, त्यागी को वही आगम मिलता है। भोगी को जो कठिन मालूम देता है, त्यागी के लिये वही सुखावह और परम शान्ति का स्थान होता है। सपत्नी जीवन के लिये श्रद्धा और दृढ़ मनोबल की ही जरूरत पड़ती है और बालक, युवक व वृद्ध जिसमें भी यह गुण होता है, वह कठिन-से-कठिन बात को भी सरलता से पार लगा देता है। जो अनुत्तर धर्म है वह पाप निमग्न आत्माओं के लिये जरूर दुष्कर है परन्तु जो हलुकर्मों जीव होते हैं जिन्हें केवल अपने आत्मा के हित की ही चिन्ता रहती है, उनके लिये धर्म कोई दुष्कर नहीं होता। उनकी साधना में सहायक होने से वह उन्हें अत्यन्त प्रिय होता है और उसके लिये वे महान-से-महान कष्टों को भी प्रसन्न चित्त से झेल सकते हैं।

ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वास्तव में ठीक ही कहा है :—“जिन प्रवचन क्लीव, चित्त की दृढ़ता रहित कायर पुरुषों को, कुत्सित मनुष्यों को, इस लोक सम्बन्धी विषय सुख की इच्छा करने वाले तथा परलोक के सुख की वाछा नहीं करने वाले सामान्य मनुष्यों को ही पालन करना दुष्कर है। परन्तु जो धीर, साहसिक और निश्चित व्यवसाय वाला पुरुष होता है उसके लिये प्रवचन पालन करना दुष्कर नहीं है।

पिगगंधे पाययणे कीवाणं कायरणां कापुरिसाणं इहलोगपडिबद्धाणं परलोग-निप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, णो चेष णं धीरस्स निच्छियववसियस्स पत्थ किं दुक्कं करणयाय ॥ ज्ञा० अ० १: २३ ॥”

“दीक्षा और मूल आगम” शीर्षक के अन्तर उपरोक्त शास्त्रीय प्रमाणों को उद्धृत करने के बाद शास्त्रीजी “अयोग्य दीक्षा के लिये शास्त्रीय निषेध” शीर्षक उपस्थित करते हैं। “अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा देना मूल सूत्रों में निषिद्ध है” इस वाक्य से इस विषय को आरम्भ करते हुए आप लिखते हैं :—

“भगवती सूत्र शतक १ उद्देश्य १ में आया है—

‘असंबुद्धेणं भते! अनगारे सिञ्ज्भइ बुञ्ज्भइ मुञ्ज्भइ परिनिव्वायइ सव्वदुवखाण-  
मन्ने करेइ?’

‘गोयमा ! णो इणट्ठे’ ‘समट्ठे । से केणट्ठे ण भते जाव अतं न करेइ !’

‘गोयमा ! असंबुद्धे अणगारे आयु अवज्जाओ सत्तघम्म पयडीओ सिद्धिल बन्धन बंधाओ घर्णाय बंधण बंधाओ पकरेइ, रहस्सकाल तिइआओ दीहकाल तिइआओ पकरेइ मंदाणुभावाओ तिब्बाणुभावाओ पकरेइ, अप्प पपसगाओ बहुपपसगाओ पकरेइ ।’

पण्डितजी के दिये हुए उपरोक्त अवतरण का अर्थ उन्हीं के अनुसार इस प्रकार है :-

“भावार्थ .—गौतम स्वामी भगवान् महावीर से पूछते हैं :-

‘हे भगवन् ! जो साधु पाप कर्म से निवृत्त नहीं हुआ है, क्या वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है तथा सब दुःखों का अन्त कर सकता है ?

‘नहीं गौतम ! यह नहीं हो सकता’—भगवान् ने उत्तर दिया ।

‘क्यों भगवन् ! ऐसा साधु सिद्ध बुद्ध मुक्त आदि क्यों नहीं हो सकता’ ?—  
गौतम स्वामी ने फिर पूछा ।

‘हे गौतम ! असंबुद्ध ( असंयतेन्द्रिय ) अनगार आयुर्कर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मों की प्रकृतियाँ जो शिथिल बन्ध वाली हैं उन्हें दृढ़ बन्धवाली करता है, जो थोड़े काल की स्थिति वाली है, उन्हें लम्बे काल की स्थिति वाली करता है, जो मन्द फल देने वाली है, उन्हें तीव्र फल वाली करता है, जो अल्प प्रदेश वाली है उन्हें अधिक प्रदेश वाली करता है’ ।”

अयोग्य दीक्षा का किसी भी सूत्र में कही भी समर्थन नहीं और वह हो भी कैसे सकता है ? परन्तु पण्डितजी ने जो अवतरण दिया है वह अयोग्य दीक्षा के निषेध से सम्बन्धित नहीं है । उसमें ‘असंबुद्ध अणगार’ शुद्ध बुद्ध हो सकता है या नहीं—इसी का प्रश्नोत्तर है । जो १८ पापादि से घिरत नहीं है जिसने अपने कषाय, इन्द्रिय

और योगों को संबृत नहीं किया उस सबर-रहित अणगार की मुक्ति होना दुर्बल है। परन्तु जो पाप के त्याग द्वारा संबृत आत्मा है, जिसने कषाय और योगों पर विजय पा ली है, उसके लिये मुक्ति का द्वार सदा खुला है। इस पाठ के सहारे से बाल-दीक्षा को अयोग्य दीक्षा ठहराना जरा भी युक्ति संगत नहीं। इस पाठ में इस बात की चर्चा ही नहीं है कि कौन दीक्षा के लिये योग्य है और कौन अयोग्य। फिर उसे अयोग्य दीक्षा या बाल-दीक्षा के निषेध रूप में उक्त बतलाना जरा भी न्याय-संगत नहीं। शास्त्रीजी ने किस विचित्र ढङ्ग से अपने विषय का प्रतिपादन किया है। पाठक इसका नभूना देख लें। शास्त्रीजी को जैन सूत्रों की कितनी जानकारी है, यह भी पाठको को मालूम हो गया होगा।

सौथे उदाहरण में पण्डितजी ने निशीथ सूत्र के ग्यारहवें उद्देश में आये हुए निम्न लिखित पाठ को उपस्थित किया है —

“जे भिक्खू णायगं वा अणायगं वा उपासगं वा अणुवासगं वा जे अणल पव्वावेइ पव्वावेतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अणलं उट्टवेइ, उट्टावतं वा साइज्जइ, जे भिक्खू अणलेण वेयावच्च करेइ करेतं वा साइज्जइ ते सेवमाणे आचज्जइ चउमा-सिय परिहारट्टाण अणुग्घाइमं।”

इसका अर्थ पण्डितजी ने इस प्रकार किया है। “अर्थात् जो भिक्खु नायक अथवा अनायक उपासक अथवा अनुपासक किसी भी प्रकार के अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा देता है अथवा ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने वाले की सहायता करता है। अयोग्य व्यक्ति को उठाता है अथवा उठाने वाले की सहायता करता है। अयोग्य व्यक्ति से अपनी सेवा कराता है अथवा सेवा करने वाले की सहायता करता है। ऐसे भिक्खु को अनुद्धानिम चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।”

निशीथ सूत्र के इस पाठ में अनल—अयोग्य को दीक्षा देने के लिये प्रायश्चित्त बतलाया गया है परन्तु यह नहीं कहा गया कि बालक को दीक्षा देना अयोग्य दीक्षा है। युवक व वृद्ध भी तो अयोग्य हो सकते हैं वैसे हालत में ‘अनल’ शब्द का प्रयोग ‘बाल’ शब्दके अर्थ में ही हुआ है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती और न इस पाठ के सहारे से बाल-दीक्षा निषिद्ध ही ठहराई जा सकती है। अवतरणों के अन्त में पण्डितजी टिप्पणी करते हुए लिखते हैं :—

“इस प्रकार शास्त्र में अनेक स्थानों पर अयोग्य दीक्षा का निषेध किया गया है। ऊपर लिखे हुए प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा या

सन्यास देने की किसी भी धर्म में आज्ञा नहीं है। समार का कोई भी धर्म इस बात को नहीं सह सकता कि एक अयोग्य बालक उनका धर्मगुरु बन कर धार्मिक स्तर को नीचे गिरावे।”

पण्डितजी ने आगम साहित्य के जो चार प्रमाण दिये हैं, उनमें से पहला प्रौढ़ दीक्षा के साथ सम्बन्धित है, दूसरे में उदात्त साधु जीवन की रूप रेखा और उसके कर्त्तव्यों का साराङ्गण वर्णन है, और तीसरे में असंवृत अणुगार को मोक्ष हो सकता है या नहीं इस बात की चर्चा है। इस तरह इन तीनों प्रमाणों में अयोग्य दीक्षा का वर्णन ही नहीं आया है। बाल-दीक्षा के समर्थन विरोध की भी कोई बात नहीं है। बाल दीक्षा विवेचन पुस्तक में हम उन अवतरणों की आशा रखते थे जो बाल दीक्षा का सीधा निषिद्ध बतलाते। परन्तु बाल-दीक्षा का निषेध तो दूर रहा पण्डितजी ने जो अवतरण दिये हैं उनमें एक भी अयोग्य दीक्षा का निषेध प्रतिपादक भी नहीं है। चौथे प्रमाण में अतल अयोग्य की दीक्षा का निषेध अवश्य है परन्तु उसमें इस बात का जग भी मकेत नहा कि बालक दीक्षा के सदा अयोग्य होता है और बाल-दीक्षा सदा वर्जनीय है। इन प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वह अहेतुक है और केवल भोला जनता की आँखों में धूल भोक्तों की दृग्साहसपूर्ण चेष्टा है। जैन धर्म में बाल-दीक्षा विहित है और जहाँ उसके विपक्ष में एक भी प्रमाण पण्डितजी को नहीं मिला, वहाँ उसके समर्थन में एकदो प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। खेद का विषय है कि विद्वान होने पर भी पण्डितजी ने अपने नेत्रों को बन्द कर रक्खा है और सत्य झूठ के निर्णय बिना ही मिथ्या-प्रतिपादन में अपनी बुद्धि का विपर्यास कर रहे हैं।

हम ऊपर कह आये हैं कि बाल-दीक्षा सर्वथा शास्त्रानुमोदित है। हम अब पाठकों के सामने सत्रों के अवतरण रख कर इस बात की सत्यता सिद्ध करेंगे।

(१) दशवैकालिक सूत्र, जैसा कि भद्रबाहु कृत निर्युक्ति और टीकाओं में मालूम होता है एक सग्रह सूत्र है। इसकी रचना पूव ग्रन्थ व अङ्ग सूत्रों में से अवश्य जानने योग्य आचार विचार की गाथाओं को सग्रह कर या उनका सार लेकर की गई है। इस सूत्र की रचना शय्यभव आचार्य ने की थी, जो भगवान महावीर के पश्चात् जिन शासन के चौथे पट्टधर हुए। ऐसी कथा प्रचलित है कि शय्यभव स्वामी ने एक दिन हटात् दीक्षा ग्रहण कर ली। उनकी पत्नी युवा थी और इससे सगे सम्बन्धी बड़े चिन्तित हुए। पति के अभाव में स्त्री का एकमात्र सहारा पुत्र होता है इसलिये वे इस बात की जाँच करने लगे कि शय्यभव की पत्नी के गर्भा-

धान है या नहीं। पूछने पर शय्यभव की पत्नी ने उत्तर दिया—‘थोड़ा (मणयार) है। बाद में जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो इसी प्रसंग को याद करते हुए शिशु का नाम मणक (मणय) रखा गया। मणक जब आठ वर्ष का हुआ तो अपनी माता से अपने पिता के सम्बन्ध में पूछताछ करने लगा और एक दिन बिना माता को कहे हा पिता की खोज में निकल पड़ा। फिरते-फिरते वह बालक चम्पा नगरी के पास पहुँचा। उस समय शय्यभव मुनि पंचमी के लिये बाहर गये हुए थे हटाने वही पर उन्होंने उस बालक को देखा और उससे पूछने लगे कि वह कौन है और कहाँ से आया है। बालक ने सारी हकीकत बता दी और अपने पिता के पास जाकर साधु बनने की इच्छा दिखाई। इसपर शय्यभव ने उससे कहा— अपने पिता और मुझे शरीर से एक ही जानो। तुम मेरे पास दीक्षा लो।’ बालक उन्हें स्मृति लिया और बाद में उन्होंने उसे दीक्षा देकर साधु बनाया।

जान दृष्टि से देखने पर शय्यभव को दिखाई दिया कि मणक केवल छ महीने का और जीने वाला है। इसलिये क्रमवार सूत्र शिक्षा देने के लिये पर्याप्त दार्घ्य समय हाथ में नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने दशवैकालिक सूत्र के १० अध्यायन पूर्व अध्यायों में से रचकर इन्हे मणक को पढ़ाना शुरू किया और उस बालक सन्त ने भी इन अध्यायनों को शुद्ध चित्त से सीख कर उनकी यथोचित रूप से आराधना की। बालक मणक के अनुग्रह के लिये लिखे गये दस अध्यायन विकाल सन्ध्या के समय रचे गये थे इसलिये उन अध्यायनों के संग्रह का नाम दशवैकालिक पड़ा। चरण—आचार और करण—भिक्षा विधि—बालाने के कारण इस सूत्र को ‘दशकालिक’ भी कहा जाता है।

दशवैकालिक सूत्र की रचना के उपरोक्त वृत्त से यह साफ प्रकट है कि मणक की दीक्षा बाल वय में ही हुई थी और उसकी अवस्था दीक्षा के समय ८ वर्ष से कुछ अधिक थी। इस तरह दशवैकालिक सूत्र के रचना के इतिहास से मणक के रूप में बाल-दीक्षा का उच्चतम प्रमाण मिलता है। बालक मुनि मणक की योग्यता के विषय में नियुक्तिकार भद्रबाहु लिखते हैं—“आर्य मणक ने शास्त्रों के सार रूप

१—सेजभव गणहर जिगपडिमादमणण पण्डियुद्ध मणगापियर दसकालियस्स निज्जुहग वडे ॥१८॥दाग

मणग पडुच्च मेज्जभवेण निज्जुहिया दसज्जयणा, वयालियाए ठविया तम्हा दसकालिय नाम ॥१५॥

बिडओ वि य आएसो गणिपिडगाओ हुवालसगाओ, एय क्रि निव्वूह मणगस्स अणुगहठ्ठाए

दशवैकालिक का ६ महीने में ही अध्ययन कर उसे अच्छी तरह सीख लिया। छः महीने का दीक्षित जीवन पूरा कर आर्य मणक समाधि पूर्वक काल प्राप्त हुआ।” जो बालकों का चारित्र-भार वहन करने में एकान्त असमर्थ समझते हैं, उनके लिये बाल सन्न मणक का उदाहरण दृष्टि उन्मेषक होगा।

(२) दशवैकालिक सूत्र जैन आगम साहित्य के ‘मूल सूत्रों’ में तीसरा गिना जाता है। इस सूत्र के ६६ अध्याय में जैन साधु के ‘आचारगोचर’ का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। साधु के आराधन करने योग्य अठारह गुणों का वर्णन करने के पूर्व प्रस्ताविक रूप से निम्न गाथा मिलती है—

“सखुड्गवियत्ताण वाहियाणं च जे गुणा।

अखडफुडिया कायव्वा तं सुणेह जहा नहा ॥६॥

इसका अर्थ है—“छोटे-बड़े, रोगी इस तरह सर्व निग्रन्थो को जो गुण अखण्डित रूप से पालन करने पड़ते हैं, वे इस प्रकार हैं।”

अगर बाल-दीक्षा शास्त्रानुमांदिन नहीं होती तो इस गाथा में ‘सखुड्ग’ शब्द का प्रयोग नहीं होता, जिसका अर्थ टीकाकार ने ‘द्रव्य और भाव बाल’ किया है। ‘द्रव्य और भाव बाल’ का अर्थ होता है ‘जो दीक्षा पर्याय से भी बालक हो और वय हिसाब से भी बालक हो।’ हम यहाँ हरिभद्र सूत्र की टीका का वह अर्थ उद्धृत करते हैं जो इस गाथा के भाव का स्फोटन करता है.—

‘सखुड्गन्ति सूत्र, सह क्षुल्लकं.—द्रव्यभावबालैर्ये वर्त्तन्ते ते’ व्यक्ता—द्रव्यभाव वृद्धास्तेषा सक्षुल्लक व्यक्ताना, सवालवृद्धानामिदित्यर्थ, व्याधिमता च शब्दाद-व्याधिमतं च सरुजाना नीरुजानां चेति भावः, ये ‘गुणा’—वक्ष्यमाणलक्षणान्तेऽ खण्डा स्फुटिता कर्त्तव्याः अखण्डा देशविराधनापरित्यागेन अस्फुटिता सर्व विराधनापरित्यागेन, तत् शृणुत यथा कर्त्तव्यास्तथेति सूत्रार्थः।

इस गाथा की श्री समय सुन्दर गणिने भी ऐसी ही व्याख्या की है। अतः यह सिद्ध है कि बाल-दीक्षा शास्त्र संगत है। अगर बाल दीक्षा निषिद्ध होती तो बाल संतो पर भी इन नियमों के लागू होने का उल्लेख नहीं आता।

मूल सूत्र अर्थात् जिसमें भगवान महावीर के श्री मुख से फरमाये हुए वचन हैं। पूर्वों पर से सार रूप संग्रह किया हुआ होने से दशवैकालिक सूत्र के लिये मूल संज्ञा बिलकुल उपयुक्त बैठती है। ऐसे मूल सूत्र में आई हुई यह गाथा बाल-

२—छहि मासेहि अहीय अज्जमणमिण तु अज्जमणणेण। छम्मासा परियाओ अह कालगओ ममाहीए

दीक्षा के विषय पर अत्यन्त प्रामाणिक है। शय्यभव भगवान महावीर के निर्वाण के कोई ६८ वर्ष बाद देवलोक हुए—ऐसा अनुमान है। ऐसी हालत में 'बाल-दीक्षा' भगवान के निर्वाणके बाद के १०० वर्षों में प्रचलित थी—ऐसा सिद्ध होता है।

(३) उत्तराध्ययन सूत्र जैन आगम साहित्य का प्रथम मूल सूत्र है। इसके १४ वे ईषुकार नामक अध्याय में भृगु नामक पुरोहित के दो पुत्र, भृगु और उसकी भार्या यशा तथा ईषुकार नगरी के राजा ईषुकार और उनकी रानी कमलावती के प्रव्र-जित होने का वर्णन आया है। भृगु पुरोहित के दोनों पुत्रों को 'कुमार' शब्द से सम्बोधित किया गया है। ये दोनों पुरोहित पुत्र अविवाहित अवस्था में ही नहीं परन्तु बालक वय में ही दीक्षित हुए थे, यह सब जैनी जानते हैं। टीका में इनकी कथा को विस्तार से देते हुए कहा कि पूर्व भव में देव रूप उत्पन्न हुए इन दोनों माइयों ने निर्भय गधु का रूप धारण पहले ही आकर अपने भार्या पिता से कह दिया था कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले उसके दोनों पुत्र बाल अवस्था में ही दीक्षित होंगे।

(४) उत्तराध्ययन सूत्र के १५ वे अध्याय की १२ वीं श्लोका भी बाल-दीक्षा को सिद्ध करती है। यह गाथा इस प्रकार है :-

“ज किञ्चि आहारपाणगं विविह, खाइमसाइम परेसि लद्धु।

जो त तिविहेण नाणुकपे, मणवयकायसुसंबुडे स भिक्षू ॥

इस गाथा में प्रयुक्त 'नाणुकपे' शब्द के अर्थ की पूर्ति टीकाकार इस प्रकार करते हैं: 'नानुकस्पते कोऽर्थः ग्लानबालार्दान्नाप कुरुते' न स भिक्षुरिति वाक्य शेष।'

इस गाथा का अर्थ इस प्रकार है —“यत्किञ्चित् आहार, पाना तथा नाना प्रकार के खादिम, स्वादिम पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त कर जो उस आहार से त्रिविध योग द्वारा, समोगी बाल, वृद्ध और ग्लानादि पर अनुकम्पा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जिसने मन, वचन और काया को भलीभाँति सवृत किया है, वही भिक्षु है।”

१—देखिये भावविजय गणि तथा वादिवंताल श्री शान्ति सूरि कृत टीका यथा —

ताववुत्तु, सुतो द्वौते, भाविनौ तौ च मन्मती, गिशुत्व एव प्रव्रज्या, विव्वपजा ग्रहीप्यत ॥१८॥

भाव देवीया टीका ।

२—देखिये :—श्री उपाध्याय आत्मारामजी महाराज कृत अनुवाद पृ० ६५५, श्री वादिवंताल श्री

शान्ति सूरि कृत टीका तथा श्री भाव विजय गणि कृत टीका ।



यदि जैन सङ्घ में बाल-दीक्षा विद्यमान न होती तो बाल सन्तों के प्रति अनु-  
कम्पा करने की बात ही टीकाकार नहीं उठाते ।

( ५ ) उत्तराध्ययन सूत्र के १७ अध्ययन की ११ वीं गाथा की टीका में भी  
'बाल' शब्द का प्रयोग है और इससे भी बाल-दीक्षा की परिपाटी प्राचीन होने  
का प्रमाण मिलता है । यह गाथा इस प्रकार है :

बहुमाईं पमुहरीं, थद्धे लुद्धे अण्णिग्गहे ।

असंविभागी अवियत्ते, पावसमणि च्चिवुच्चई ॥

'असंविभागी' शब्द का खुलासा करते हुए टीकाकार लिखते हैं :— गुरु ग्लान-  
वालादिभ्य उचितमशनादि यच्छर्तान्त्वेवशील. सविभागी न तथा य आत्मपोप-  
कत्वेनेव सोऽसविभागी ।' इस गाथा का सम्पूर्ण अर्थ इस प्रकार है —

'छल करने वाला, अहकारी, लोभी इन्द्रियों को वश में न रखने वाला और  
लाये हुए आहार का बाल्य वृद्ध ग्लान आदि के साथ संविभाग न करने वाला  
नथा उनके प्रति प्रेम मात्र न रखने वाला पाप श्रमण कहा जाता है ।'

( ६ ) उत्तराध्ययन सूत्र के केशी गौतमीय नामक तैर्वासिधे अध्ययन में भगवान्  
पार्श्वनाथ के सतानीय शिष्य केशी श्रमण और गणधर गौतम का सवाद आया  
है । केशी श्रमण के सम्बन्ध में 'लोक प्रदीप', 'भगवान् पार्श्वनाथ के महा यशस्वी  
शिष्य' तथा 'विद्या और चाग्रि में परिपूर्ण' शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । ये केशी  
श्रमण आवाल ब्रह्मचारी थे और उनकी दीक्षा अल्प वय में—बाल अवस्था में ही  
हुई थी । राय पसेणइय सूत्र के प्रमुख पात्र और परदेशी राजा को प्रबोध देने  
वाले श्रमण केशी यही केशी कुमार थे ।

( ७ ) अन्तकृदशाः सूत्र के छठे वर्ग में अतिमुक्तक की कथा वर्णित है । ये भगवान्  
महार्वाग के समय के माधु थे और भगवान् के उपदेश से वैरागी हो बाल वय में  
ही उनके पास दीक्षित हो गये थे इसी से उन्हें 'कुमार श्रमण' कहा है । ये उसी  
वय में मुक्तिगामी हुए । भगवान् ने इनकी बड़ी प्रशंसा की थी और बड़े सन्तों  
को उनकी अवहेलना तिरस्कार और अपमान न कर उन्हें सहायता देने और  
उनकी सेवा करने का आदर्श दिया था । ( देखो भगवती सूत्र श० ५ उद्दे० ४ ) ।

( ८ ) उपरोक्त अतिमुक्तक बाल सन्त के सिवा एक इसी नाम के अन्य बाल-सन्त  
भी प्रसिद्ध है । कृष्ण वासुदेव और गजसुकुमार की माता रानी देवकी को इन्हीं

१—देखिये—उत्तराध्ययन सूत्रम् (उपाध्याय आत्मारजजी महाराज कृत अनुवाद, पृ० ९९; राय  
पसेणइय सूत्र प० वेचरदासजी कृत अनुवाद टि० १२८ पृ० २११

दूसरे अतिमुक्तक मुनि ने यह कहा था कि उसके एक ही समान वर्ण और आकृति के नल कुबेर जैसे आठ पुत्र होंगे जैसे समूचे भरत खण्ड में किसी भी स्त्री को नहीं होंगे।" इन अतिमुक्तक मुनि को उक्त सूत्र में 'कुमारश्रमण' कहा गया है। इन्होंने भी बाल अवस्था में ही दीक्षा ले ली थी।

( ९ ) प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी बाल-दीक्षा के समर्थन में महत्त्वपूर्ण पाठ मिलता है। सवर द्वार के तीसरे अध्यायन में निम्न लिखित पाठ मिलता है -

“अहकेरिण्ण पुणा आराहण वयमिणं जे से उवहि मत्तपाण म्गहण दाण-कुसले अन्नत बाल दुवल गिलान बुद्धमासखमण पवत्ति x x x निज्जग्घं वैयावच्च अणिसिन्धय दसनिव बुत्ति करेति।”

इसका अर्थ होता है -

“अदत्त नाम तेषु ते व्रत का आराधक कौन है ? जो उपधि भक्त पान आदि को विधि पूर्वक नष्ट करने में कुशल है और जो अत्यन्त बाल, दुर्बल, गिलान, वृद्ध, मास क्षमण की तस्य वृद्धे तथा तस्य मम आदि योगों में प्रवृत्तमान है x x x उनकी निजगा के हेतु से अनेक प्रकार से दसथा वैयावच्च देने वाला है वह इस व्रत का आराधक होता है।”

जो बालक-प्रायु की वैयावच्च करने वाला है वह तीसरे सवर का आराधक कहा गया है। अगर बाल-दीक्षा वर्ज्य होती तो सूत्र के मूल पाठ में बाल-वैयावच्च का शब्द कसे आता ?

विज्ञ पाठक विचार कर देखें कि इससे बाल-दीक्षा सिद्ध होती है या नहीं ?

(१०) उपरोक्त सूत्र 'सिद्धाधिकार सूत्र ४३ में यह प्रश्नोत्तर चला है कि जीव कितनी आयु में सिद्ध हो सकता है। हम उस प्रश्नोत्तर को भावार्थ सहित यहाँ देने हैं -

“जीवाण मने । सिद्धमाणा कयरम्मि आण सिद्धन्ति ?

गोयमा । जहण्णंण साइरेगट्टवासाण उक्कासेण पुव्व कौडियाण सिद्धन्ति।”

उपरोक्त पाठ का टीकानुसार अर्थ यह होता है

‘जीव है भगवन् । ‘कितनी आयु में सिद्ध होता है ?’

‘हे गौतम ! जघन्य कम-से-कम ८ वर्ष से उपरान्त आयु में और अधिक से अधिक एक कोड वर्ष की उम्र में जीव सिद्ध होता है।’

उपरोक्त पाठ में मोक्ष के लिये कम-से-कम उमर आठ वर्ष से उपरान्त बतलाई गई है। साधु हुए बिना मोक्ष नहीं मिलता। अतः उपरोक्त पाठ से ८ वर्ष उपरान्त

दीक्षकाल मान सकते हैं। मोक्ष प्राप्त होने के पहले केवल ज्ञान का होना भी जरूरी है और कुछ काल इसकी प्राप्ति में भी लगता है। मोक्ष प्राप्ति में लगने वाले ८ वर्ष के उपरान्त काल को घटा देने पर दीक्षा काल ८ वर्ष की आयु ठहरता है। इस बात की पुष्टि टीका पर से भी होती है। हम यहाँ अभय देव सूत्रि कृत टीका का अवतरण देने हैं।

‘साइरेगट्टावासाउए’ ति — सातिरेकाण्यष्टौ वर्षाणि यत्र तत्तथा तच्चतदायुश्चेति तत्र सातिरेकाष्टवर्षायुषि, तत्र किलाष्टवर्ष वयाश्चरण प्रतिपद्यते, ततो वर्ष अतिगते केवलज्ञानमुत्पाद्य सिध्यतीति। उक्तासेण पुत्रकोडाउए ति पूर्वकोट्यायुर्नरः पूर्वकोट्या अन्ते सिध्यतीति न परत.।

टीकाकार कहते हैं— “आठ वर्ष की आयु चरण साधुत्व के लिये प्रतिपादित है। ८ वर्ष बीतने पर केवल ज्ञान प्रकट कर जीव सिद्ध होता है।”

उपरोक्त पाठ भी बाल दीक्षा को असदिग्ध रूप से सिद्ध करता है।

(११) व्यवहार सूत्र उ० १० गा० १६।२० में निम्नलिखित पाठ मिलता है . -  
“नोकप्पइ निग्गथाण वा निग्गंधीणं वा खुड्डगस्स वा खुड्डियाए वा उणट्टवास जाय उवट्टावित्त एवा समुज्जित एवा ।”

“कप्पइ निग्गंधीणं वा निग्गंधीणं वा खुड्डगस्स वा खुड्डियाएवा साइरेग अट्ट-  
वास जाय उवट्टावित्त एवा समुज्जित एवा ।”

इसका भावार्थ यह है .--

“नही कल्पता है निर्रन्थ साधु और साध्वी को ८ वर्ष से कम उम्र वाले लड़के व लड़की को दीक्षा देना व उसके साथ भोजन करना ।”

“कल्पता है निर्रन्थ साधु व साध्वी को आठ वर्ष से अधिक वर्ष के बालक व बालिका के दीक्षा देना व उसके साथ भोजन करना ।”

इस पाठ में दीक्षा की आयु आठ वर्ष से ऊपर बतलाई गई है। ८ वर्ष से ऊपर के बालक को दीक्षा देना साधु साध्वी को कल्पता है। इसी तरह बाल-दीक्षा के अनेक प्रमाण आगमसाहित्य में बिखरे पड़े हैं। सरसरी तौर पर बाल-दीक्षा विषयक जो पाठ हमारी निगाह में आये, उन्हें हमने ऊपर संग्रहित किया है। वैसे जितने प्रमाण दिये हैं उतने प्रमाण बाल-दीक्षा को सिद्ध करने में पर्याप्त होने चाहिये। हमारी धारणा है कि प्रयत्न करने पर और भी उद्धरण दिये जा सकते हैं। जो यह कहते हैं कि बालक बालिकाओं के लिये साधु जीवन का भार उठाना कठिन ही नहीं असंभव है, उनको शालीय बच्चों पर विचार करने की जरूरत है।

अगर साधु-आचारविचार का सम्यक् पालन बाल सन्त व साध्वियों द्वारा प्रशक्य होता, तो जिन शासन में उन्हें दीक्षा देने की आज्ञा ही नहीं होती। बाल-दीक्षा के विषय में शका करना अनादि जैन धर्म की छत्रछाया में हुए महान बाल सन्त व साध्वियों के जीवन पर कलङ्क लगाना है। अगर बालको द्वारा जैनाचार का पालन असंभव है तब तो आज तक हुए बाल सन्तों ने केवल वेष ही पहना और उनका साधु जीवन केवल ढोंग ही रहा। क्या कोई भी स्वाभिमानी जैन इस बात को सहन करेगा या अपने पर आरोपित होने देगा ?

बालक साधुओं ने जैन आचार-विचार को किस तरह भलीभाँति अपनाया और और मरणान्तक कष्ट या पड़ने पर भी किस तरह अडिग रहे इसके ज्वलन्त उदाहरण जन कथा साहित्य में मिलते हैं। हम यहाँ केवल दो कथाओं का संक्षेप में भावार्थ उपरि उल्लेख करते हैं। दोनों कथाएँ उत्तराख्ययन सूत्र की श्रीमद् भाव देविय टीका पर से लाई गई हैं और पृ० २६ तथा २८ पर उपलब्ध हैं। पहली कथा इस प्रकार है—

‘भारतवर्ष में उज्जयिनी नामक स्वर्ग के सदृश एक पुरा था। वहाँ हस्तिमित्र नामक एक धर्मी था। उसका स्त्री वरुण सेनाशाल, दक्ष और पतिव्रता थी। उसकी हठान मृत्यु हो गई। अपने प्राणों से भी प्रिय कल्याण के वियोग से हस्तिमित्र का चित्त समास का अस्माना का विनम्र कर वेगमयवान हो गया और उसने हस्तिभृति मुनि के पास दाक्षा ले ली। हस्तिमित्र का पुत्र भी उसके साथ दीक्षित हुआ। एकदा अन्य साधुओं के साथ हस्तिमित्र और उनके पुत्र मुनि ने भी उज्जयिनी से विहार किया। रास्ते में हस्तिमित्र मुनि के पैर में काँटा गड़ गया जिससे आगे चलते में वे असमर्थ हो गये और उतरे प्राण सकट में पड़ गये। परन्तु उन्होंने इस बात को अन्य साधुओं से प्रकट न की और दूसरे साधुओं से बोले—“आपलोग शांघ ही इस कान्तार-जङ्गल को पार करें। मैं तो अब असमर्थ हूँ यहाँ अंतशन करूँगा।” यह सुन कर अन्य मुनि कहने लगे—“हमलोग आपको इस अटवी में नहीं छोड़ सकते। कथा भोली कर ले जायेंगे। जिन भगवान ने वैयावृत्य की धर्म कृत्यों का सार बतलाया है ग्लान साधु की सेवा का मौका बिना पुण्य नहीं मिलता।” यह सुन कर हस्तिमित्र बोले—“मेरी मृत्यु सन्निकट है। मुझे उठा कर ले जाने की जरूरत नहीं। एक के लिये सब को कष्ट में पड़ने की भी जरूरत नहीं। आपलोग शांघ जङ्गल को पार कर निरापद स्थान को पहुँचे।” ऐसा कह उन्होंने सर्व मुनियों को वहाँ से भेज दिया और

खुद ने अनशन ग्रहण किया। हस्तिमित्र का दीक्षित पुत्र भी साधुओं के साथ चला, कुछ दूर जाने पर वह बालक मुनि अन्य साधुओं को छोड़ कर अपने पिता साधु के पास आगया। यह देख कर हस्तिमित्र ने उलहना देने हुए कहा—‘तुमने यह काम शोभा का नहीं किया। तुम बिना विचारों मुनियों का सग छोड़ मेरे पास आये हो। यहाँ प्रामुक अन्नादि का देने वाला कोई नहीं। क्षुधा और तृषा से तुमको बहुत तकलीफें उठाना पड़ेगी।’ पुत्रने कहा ‘जो होने का है वही होगा। मैं आपको इस अवस्था में अकेला छोड़ कर नष्ट जा सकता।’ हस्तिमित्र उसी दिन अत्यन्त वेदना के कारण स्वर्ग विधारे और देवता होकर उस बालक सन्त और अपनी शय को उर्मा जड़ूल में दखा। देवता ने अपने पर्व शय में प्रविष्ट कर बालक को कहा ‘‘मिक्षा के लिये तुम वृक्षों की खोहों के पास जाओ। उनमें बसने वाले लोग तुम्हें मिक्षा देंगे।’ बालक सन्त वृक्षों की खोहों के पास जाता और मिक्षा याचना करता। खोह से हाथ निकलने और भक्ति भाव से उस बाल साधु को प्रामुक अशन आदि देने। इस तरह अनेक दिन बीत गये, एकवार साधुओं का एक सघ उर्मा मार्ग से विहार के लिये चला। उस जड़ूल में पहचने पर साधुओं ने उस क्षुल्लक—बालक साधु को दखा। देख कर कुतूहल से उसमें पूछा ‘तुम कहाँ रहते हो?’ ‘क्या खाने हा?’ बालक ने कहा ‘मैं इस गुहा के अन्दर अपने पिता के समीप रहता हूँ और वृक्षसे बाहर निकलते हुए हाथों से अशनादि ग्रहण करता हूँ।’ तब उन्होंने सोचा कि उसके वृद्ध पिता बिना आहार के किस तरह जीते होंगे? और यह सोच कर उन्हें दखने के लिये गये परन्तु वहाँ केवल सखा कलेवर देखा। मुनि लोगों को समझते देर न लगती कि हस्तिमित्र देवता होकर अन्नादि के दान द्वारा उस बालक मुनि का रक्षा करता है। यह वृत्तान्त जान कर किसी मुनि ने कहा—‘बालक ने क्षुधा परिग्रह सहन नहीं किया। पहाड के समान धैर्य धारण करने वाले वृद्ध ने ही उसे सहन किया। परन्तु अन्य साधु ने कहा—‘लडके साधु ने भी क्षुधा परिग्रह सहन किया है क्योंकि प्रामुक कम मिलने पर भी इसने फलादि खाने की जरा भी इच्छा न की।’

दृमर्गी कथा इस प्रकार है

‘उज्जयिनी पुरी में धनमित्र नामक एक वणिक था। उसके धनशर्मा नामक पुत्र हुआ। धर्म मुन कर पिता-पुत्र दोनों ने प्रव्रज्या ग्रहण की। एकदा मुनि सघ ने मध्याह्न में विहार किया। भीषण गर्मी पडती थी। बालक सन्त को बड़ी तीव्र प्यास लगी जिससे उससे धीरे-धीरे चला जाता था। अन्य मुनि आगे

बढ़ गये, परन्तु मोहग्रस्त धनमित्र अपने पुत्र के साथ धीरे धीरे चला। गम्मे ने नदी आई। नदी देख कर धनमित्र मुनि वाला 'हे वत्स' तुम्हारी चेष्टा से मुझे मान्द्रम होता है कि पिपासा ने तुम्हे पराजित कर लिया है। प्राम्बुक जल मिलना मुश्किल है। इसलिये नदी का जल पी कर अपनी प्यास बुझाओ क्योंकि निषिद्ध कार्य भी विपद के समय किया जा सकता है। पीछे पाप की आलोचना कर शुद्ध होना।" परन्तु उस लडके ने जल की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखा। पिता ने सोचा कि यह लडका मेरी शर्म करता है धन मेरे सामने जल नहीं पीता। मैं इससे दूर चला जाऊँ तो शायद यह जल पी लेवे। ऐसा विचार कर पिता धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ गया। परन्तु बालक ने तृपानुर होते हुए भी जल का स्पर्श तक नहीं किया। परन्तु तृपा बढ़ती ही जाती थी और ताल सूख रहा था। आखिर में बालक शशु ने सोचा मैं बिना दिए हुए इस जल को पीऊँ बाद में सदगमसे प्रायश्चन ले शुद्ध बूँगा। यह विचार कर उसने अजलिमें जल लिया और ज्यों ही उसे मुख के सामने लाया, उसके मन में विचार उठा 'जिन भगवान् ने जल के एक चिन्दु में असंख्यात जीव बतलाये हैं मैं जैन सिद्धान्त को जानता हूँ कैसे इन जीवों को पीऊँगा? जल में ब्रह्म और स्थावर दोनों ही जीव होते हैं। ऐसा जल पान करने वाला उन सब जीवों का घातक होता है। सम्पूर्ण अहिंसा व्रत का व्रता और सब जीवों की आत्मा के समान मानने वाला पर जीवों का प्राण किस तरह ले सकता है? यह जल सर्जीव है।" यह विचार कर उसने अजलि का जल नदी में छोड़ दिया। उसके बाद बालक होते हुए भी अवाल की तरह धैर्यवान् होकर शान्तिपूर्वक नदी को पार कर दूसरे किनारे पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर तृपणा से आगे चलने में असमर्थ हो वही तीर पर गिर पड़ा। पिपासा से विवश होने पर भी उसने धैर्यपूर्वक मन को धर्म में स्थिर किया और फिर पाँचों नमस्कारों का स्मरण करता हुआ देवलोक को प्राप्त हुआ। फिर अर्वाधिज्ञान से पर्य भव को जान कर अपने छोड़े हुए देह में आकर प्रविष्ट हुआ। अपने पुत्र को आगे आते हुए मुनियों के बराबर पहुँचने देख कर धनमित्र मुनि बड़े प्रसन्न हुए। आगे जाकर इस देवता ने गोकुल रचा। वहाँ मुनियों ने दुध याच कर स्वस्थता प्राप्त की। बाद में सायुओं का संघ आगे बढ़ा। उनमें से एक अपनी विधिष्टका पीछे भूल आया और याद पड़ने पर उसे लाने के लिए गोकुल स्थान का वापिस गया परन्तु वहाँ कुछ भी दिखाई न दिया। यह सुन कर अन्य मुनियों को भी आश्चर्य हुआ। एकवार

वह देवता फिर प्रगट हुआ और पूर्व पिता के सिवा सब साधुओं की विधि-पूर्वक बंदना की। इसपर साधुओं ने पूछा—“इस व्रतधारी साधु को नमस्कार क्यों नहीं करते ?” तब उस देवता ने जवाब दिया—“इसने मुझे पूर्वभव में सर्जाव जल पीने की वृद्धि दी थी। इसलिये वह साधु नहीं। इसीसे उसकी वंदना नहीं करता। इसने ग्नेह वश गिणु का कार्य किया। जिस बात से दुर्गति होती है, उसका उपदेश दिया। सचित्र जल का ओग आँख उठा कर भी नहीं देखने की इच्छा होने पर भी इसके कहने से व्रत भंग के पाप से मुझे भव-भ्रमण करना पड़ा। गुरु हो या जनक वही वृद्धजनो द्वारा पूज्य होता है, जो शिष्य व पुत्र को कुमार्ग की ओर प्रेरित नहीं करता। इसके बाद धनशर्मा पूर्व देह को त्याग चला गया और साधुओं ने भी मुख पूर्वक वहाँ से विहार किया। बालक होने पर भा वृद्ध प्रतिज्ञ धन शर्मा ने जिस तरह तृप्ता परिषह सहन किया उर्मा तरह महानन्द में अनुरक्ति रखने हुए सर्व मन्यतां को सहन करना चाहिये।”

पहली कथा में बालक को वृद्ध की तरह ही परिषह—सहन करने में क्षम्य बनलाया है, और इस मिथ्या धारणा को दूर किया गया है कि बालक वृद्ध की तरह परिषह सहन नहीं कर सकता। दूसरी कथा और भी अधिक बोध प्रद है। वृद्ध सचित्र जल पीने का आदेश कर अपने महाघ्न को खाँ देता है और अपनी दुर-मति से बालक को भी पतनोन्मुख होने का आदेश देता है। परन्तु बालक गिरते २ सम्भल जाता है और फिर दैवरूप में आकर आचारहीन साधुओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये इसका आदर्श पाठ सिखाता है। जो धर्म के मार्ग से विमुख करता है वह गुरु हो या पिता—उसे शत्रु के समान बतलाता है। बालक का उपयोग कितना तीक्ष्ण रहा और वृद्ध की अपेक्षा वह कितना बुद्धिवान और विचारशील रहा—इसका दृष्टान्त इस कथा में है। बाल-दीक्षा शास्त्र सम्मत है और वह बहुत प्राचीन काल से जिन शासन में प्रचलित है। जैन इतिहास के अवलोकन से कितने ही बाल सन्त व सतियों का पता चलेगा। बालक सन्तों ने जैन धर्म की धुगा बड़ी मजबूती के साथ वहन की है। जो यह कहते हैं कि छोटे बालक साधु बनने की आवश्यक बातों को क्या समझेंगे, ऐसी बातें उनमें आना कठिन ही नहीं असंभव है; वे प्रायः बालको के आगे ‘आजकल के’ विशेषण जोड़ देते हैं। पण्डितजी भी ऐसा ही कहते हैं। प्राचीनकाल में बाल-दीक्षा के ज्वलंत प्रमाण मिलते हैं इसलिये ‘आजकल’ शब्द जोड़े बिना शायद कोई संभव नहीं

रहता। अपनी बात के लिये कुछ न कुछ आधार चाहिये ही, और वह 'आज कल' है क्योंकि अतीत में कोई समर्थन नहीं मिलता।

बाल-दीक्षा जैन धर्म में मान्य है, यह अन्य तरह से भी प्रतिपादित होता है। जैन धर्म और वैदिक धर्म में एक महान अन्तर है। जैन धर्म आश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, जब कि वैदिक धर्म में सामान्य रूप से आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, पानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम इस तरह जीवन काल के चार भेद वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित हैं। इन आश्रमों में पहले आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन कर विद्यार्थ्ययन करना पड़ता है, दूसरे में विवाह कर पुत्रोत्पन्न कर गृहस्थ जीवन बिताना पड़ता है तीसरे में घर गृहस्था को छोड़ पानप्रस्थ अवस्था धारण करना पड़ती है और चौथे में सवस्व त्यागी-सन्यासी होने का विधान है। जीवन का यहा क्रम साधारण रूप से विहित है तथापि विशिष्ट आत्माओं द्वारा इन नियमों के उल्लंघन के उदाहरण भी काफ़ी मिलते हैं। यह जीवन क्रम अस्वभाविक है, क्योंकि धर्म की साधना के प्रधान जीवन सन्यास का क्रम में सब से पीछे रक्खा गया है। जीवन, कमल के पत्ते पर पड़े हुए ओस बिन्दु की तरह, अस्थिर है। वसा हालत में सन्यास का नस्वर शेष में रखना मनुष्य जीवन की वास्तविक स्थिति- 'आर्वाचि मरण' को भूलना है। जैन धर्म ने इसी दृष्टि से इस आश्रम भेद व जीवन व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया और धर्म में शीघ्रता नहीं होती इसी बात को अग्रसर रक्खा है। विचार धाराओं के पार्थक्य को हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। हम भृगु पुरोहित के पुत्रों के दीक्षा लेने के प्रसंग को लेते हैं। जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याकुल होकर और मोक्ष प्राप्ति में चित्त को स्थिर कर समार चक्र से विमुक्त होने की उत्सुकता से काम भांगों को छोड़ कर भृगु पुरोहित के दो पुत्रों ने दीक्षा लेने का विचार प्रकट किया और अपने पिता से आकर बोले -

“यह विहार—मनुष्य शरीर अशाश्वत है। विघ्न बहुत हैं। आयु भी दीर्घ नहीं इसलिये हमें घर में रति—आनन्द नहीं मिलता। आप आज्ञा दे। हम मौन—मुनि वृत्ति धारण करेंगे।”

यह सुन कर भृगु पुरोहित बोला —

“इमं वयं वेयचिओ वयन्ति, जहा न होइ असुयाणलोगो।”

वेदवित् कहते हैं कि पुत्र रहितों को लोक व परलोक की प्राप्ति नहीं होती।



अहिंसा वेष परिविस्म विप्ये पुत्ते परिदृष्प गिहंसि जाया ।

भोच्चण भोण सह इत्थियाहि, आरण्णगा होइ मुणी पसन्था ॥

हे पुत्रों ! तुम वेदों को पढ़ कर ब्राह्मणों को भोजन करा कर, स्त्रियों के साथ भोगों को भोग कर और पुत्रों को घर में स्थापन करके फिर अरण्यवास की प्रशस्त मुनि बन जाना ।'

पाठक देखेंगे कि उपरोक्त गाथाओं में चार आश्रमों का ही वर्णन है । ब्रह्म-चर्याश्रम में वेदाध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के मंगल रूप में स्नातकों को भोजन करा और फिर प्रजात्पत्ति कर अरण्यवास की प्रशस्त मुनि बनने की जो बात भृगु पुरोहित कहता है, वह वैदिक संस्कृति के आश्रम भेद का ही उल्लेख है । वैदिक संस्कृति में पहले हुए पुरोहित पुत्रों को दीक्षा लेने से पराङ्मुख करने में वेदों में बताये हुए जीवन-क्रम को सम्मुख रखना ही सब से कार्यकारी हो सकता था और पुरोहित भृगु ने वैसे ही किया परन्तु जैन मुनि को देख कर पूर्व संस्कार से जाग्रत हुए बालक इस क्रम को तथ्यहीन बतलाते हैं

वेया अहीया न हवन्ति ताण, भुत्ता दिया निन्ति तम तमेण ।

जाया य पुत्ता न हवन्ति ताण कां णाम ने अणुमन्नंज एय ॥२५॥

हे पितार्जी ! वेदाध्ययन रक्षा नहीं करता, भोजन कराये हुए द्विज भी तम-तमा में ले जाते हैं, और न उत्पन्न हुए पुत्र ही रक्षक होते हैं फिर आप की बात को कौन माने ?

गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के पहले ब्राह्मणों—स्नातकों को भोजन कराये जाने की प्रथा थी । भृगु पुत्रों ने अपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराने में पाप बतलाते हुए गृहस्थाश्रम का खण्डन किया है और मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रथम गृहस्थाश्रम होने की बात को मानने से अस्वीकार किया है । इस आश्रम व्यवस्था को ब्राह्मण पुत्रों ने क्यों नहीं स्वीकार किया इसका वर्णन आगे आता है ।

अव्माहयमि लोगमि, सव्वओ परिवारिण ।

अमोहाहि पडन्तीहि, गिहमि न रइ लभे ॥

अमोघ शस्त्रधारा के पडने से सब दिशाओं में पीड़ित हुए इस लोक में अब हम घर में रह कर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते ।

मुच्चुणाऽव्माहओ लोगो, जराण परिवारिओ ।

अमोहा रयणी वुत्ता, एवं ताय ! विजाणह ॥

हे पितार्जी ! यह लोक मृत्यु से पीड़ित हो रहा है । जरा से घिरा हुआ है ।

गत-दिन, अमोघ शस्त्र धार की तरह, वह रहे हैं। ऐसा ही लोक का स्वरूप समझे।

जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनियन्तई।

अहम्म कुणमाणम्म, अफला जन्ति राडओ ॥

जो रात्री जाता है वह वापिस लौट कर नहीं आता। अधम करने वाले की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं।

जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनियन्तई।

धम्म न कुणमाणम्म सफला जन्ति राडओ ॥

जो गत चली जाता है वह वापिस नहीं आता। जो धर्म का आचरण करते हैं उनकी रात्रियाँ सफल होती हैं।

उणं तथ मच्चुणा सक्खं जम्म वड्ढिथ पलायण।

जो जाण न मग्गिम्मार्हि सा तु क्खं गुण सिया।

जिसकी श्रुत्यु से स्वार्थ मित्रता है जो उससे भाग कर चक सकता है जो यह जानता है कि मैं नहीं हूँ गी। वही पुरुष कल का आशा कर सकता है।

अज्जेव नम्म पाटवज्जयामो जाते पवन्ता न पुणध्वयामा।

अणागय नेव थ अन्थि किच्चि, सद्धग्गम णं विणट्ठु गग ॥

हम आज हा धर्म को ग्रहण करेंगे, जिस धर्म के ग्रहण से फिर संसार में जन्म नहीं होता। एसा किञ्चिन्मात्र भी पदाथ उस संसार में नहीं, जो कि इस जीव को न मिल चुका हो। प्रज्ञा रचना और विषय-गग को दूर करना ही योग्य है।

ब्राह्मण कुमारों ने जो उत्तर दिया और अधिलम्ब दाक्षा लेने की अभिलाषा प्रकट की कहना न हागा, वह जैन धर्म की विचार पद्धति है। जहाँ पल का भी भरोसा नहीं वहाँ वर्षों का भरोसा करना निरी मूर्खता है। 'यह करूंगा' 'उह करूंगा' ऐसा करने करने ही काल मनुष्य जीवन को हर लेता है वैसे ही हालत में एक समय का भी प्रमाद करना भयङ्कर भूल है। जैन धर्म की यह विचारधारा, उस धारा से भिन्न है जो आश्रम रूप में जीवन के चार भाग करती है और जिसे हम उपर वदिक विचार परम्परा कह आये हैं और जिसका स्वरूप भृगु ने अपने पुत्रों के सामने रक्खा।

भगवान महावीर के जमाने में आश्रम व्यवस्था विषयक उपरोक्त वदिक परम्परा, खूब जोर पकड़े हुए थी। भगवान महावीर ने इस परम्परा के विरुद्ध घोर आन्दोल-

लन उड़ाया और प्राचीन जैन विचार परम्परा को फिर से एक नया वेग और बल दिया।

भ्रम में भूली हुई दुनिया को आपने उपदेश दिया :—“जैसे वृक्ष के पके पत्ते समय आने पर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन भी आयु शेष होने पर अकस्मात् नष्ट हो जाता है। इसलिये हे जीव ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

जैसे कुशाग्र पर लटके हुए आम चिन्दु की स्थिति अत्यन्त स्वल्प होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन की भी। इसलिये हे जीव ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

निश्चय ही मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और वह जीवों का बहुत दीर्घ काल के बाद हाथ लगता है। कर्मों के फल बड़े गाढ़ तीव्र होते हैं। हे जीव ! समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत कर।

दिन-दिन तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, तुम्हारे केश सफेद होने जा रहे हैं और तुम्हारी (कान, अंगुली, नाक, जीभ और शरीर) इन्द्रियों की शक्ति घटती जा रही है और तुम्हारा सब बल क्षीण होता जा रहा है। इसलिये हे जीव ! एक समय के लिये भी प्रमाद मत कर।

अर्थात् फोड़े-फुन्सी और विषाणुका आदि नाना प्रकार के आतङ्क शरीर को स्पर्श करत हैं और उसे बर्हान कर उसका विनाश कर देते हैं। इसलिये हे जीव ! समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत कर।

जब तक जरा वृद्धावस्था आकर पाडा नहा पड़चानी जयतक रोग नही बढते जयतक इन्द्रियों का शक्ति क्षीण नहीं होती, हे जीव ! तब तक धर्म कर ले।

जैसे कमल शब्द ऋतु के निर्मल जल से भी निर्लिप्त रहता है वैसे ही तुम अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ कर सब स्नेह बन्धन छिटका दो। हे जीव ! समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत करो।

यह जीव एक बार पृथ्वीकाय में चल जाता है तो वहाँ उत्कृष्ट असंख्य काल तक वह बधा रहता है। और इसी तरह से जल, तेज और वायुकाय में गया हुआ वहीं असंख्यात काल तक वास करता है। और अगर जीव वनस्पतिकाय में चला जाता है तब तो उत्कृष्ट अनन्त काल तक—जिसका बड़ी कठिनता से अन्त होता है—उसे वही रहना पड़ता है। वस -द्वान्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरेन्द्रिय में गया हुआ जीव भी वही उत्कृष्ट कालतक रहता है। ऐसी हालत में हे जीव ! मनुष्य भव पाकर एक क्षण के लिये भी प्रमाद मत कर।

राते नहीं फिरतीं मनुष्य भव बार-बार हाथ नहीं आता ।

देखो ! युवक और बूढ़े ही नहीं गर्भस्थ बालक तक भी चल बसते हैं । जैसे बाज, पक्षी को हर लेता है, वैसे ही आयु शेष होने पर काल जीवन को हर लेता है इसलिये हे जीव ! समय मात्र के लिये प्रमाद मत कर ।

मनुष्य जीवन की दुर्लभता को सोच कर धर्म की आराधना करो । यह मनुष्य भव धर्म की आराधना के लिये ही मिला है ।

यह संसार भीतर ही भीतर सुलग रहा है और जोगों से जल रहा है तथा जन्म मरण के दुःख से व्याकुल है । जैसे गृहपति जलते हुए घर में से सार चीजों को निकाल लेता है वैसे ही इस जलते हुए संसार में से अपनी प्रिय और इष्ट आत्मा बचा लो ।

काम भोग क्षणिक सुख वाले और अनन्त कालीन दुःख देने वाले हैं । जैसे जलते हुए बुले को छोड़ने में ही बुद्धिमानी है वैसे ही विषय सुखा से दूर होने में ही आत्म-सुख है ।

जग और मरण के वेग में वहने हुए जीवों के लिये धर्म ही एक मात्र द्वीप है, वही प्रतिष्ठा है, वही गति है और वहां उत्तम शरण है ।”

इस तरह के वास्तविक परिस्थिति को प्रकट करने वाले अमल्य उपदेश के द्वारा भगवान ने भूली हुई जनता के पुरुषार्थ को जगा दिया । उस समय बहू विवाह की प्रथा प्रचलित थी । भगवान के उपदेश को सुन कर और उससे प्रवाहित होकर एक नहीं परन्तु अनेक सर्वाङ्ग सुन्दर, उत्तम कुल और शीलवाली नारियों को छोड़ कर युवक दीक्षित होने लगे । सन्यास के पहले बानप्रस्थ जीवन—आश्रम को भगवान ने तोड़ दिया । भगवान के संग्र में विवाहित युवक ही अपनी स्त्रियों को छोड़ छोड़ कर भर्त्स नहीं हुए, परन्तु आसन भोगों को टुकरा कर भी बहुत से दीक्षित हुए । एक ओर कृष्ण, गज सुकुमार की, सगाई पकी करने है और दूसरी ओर नर पुद्गल गज सुकुमार दीक्षा लेने की टानता है । इस तरह गार्हस्थ्य जीवन की कड़ी भी भगवान ने तोड़ दी । भोग भोग कर फिर त्यागी बनने की परिपाटी टूट गई । केवल अविवाहित कुमार ही भगवान के संग्र में साधु न बने परन्तु अतिमुक्तक जैसे विचक्षण बालकों को भी भगवान ने दीक्षा दी थी । इस तरह वेदाभ्यास के आश्रम को भी उठा दिया । भगवान महावीर के संग्र में १४००० साधु और ३६००० साध्विग्रह थीं, उनमें से सैकड़ों का ही जीवन-

वृत्त व नाम मिलता है। जो नाम उपलब्ध हैं उनमें बालक, वृद्ध व युवक-स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के साधु मिलते हैं।

भगवान ने जो क्रान्ति उठाई वह उन्हीं के जीवन काल में सफल हुई। आश्रम व्यवस्था के स्थान पर अपने अपने बल व सामर्थ्य का जमाना आ गया। जिसमें सामर्थ्य होती और अपनी आत्मा की रक्षा करने की तीव्र कामना होती वह बालक होने पर भी दीक्षा का पात्र होता था। और सामर्थ्य हीन वृद्ध कामभोग का अनुभव कर चुका होने पर भी दीक्षा के लिये अपात्र ठहरता था।

पाठक देखेंगे कि बाल-दीक्षा और युवक दीक्षा आश्रम भेद के विरुद्ध में उठाई हुई क्रान्ति के ही परिप्लक्षण थे। अपनी क्रान्ति को चूड़ान्त पर पहुँचाने के लिये भगवान ने बालक और युवक दोनों की दीक्षा—दोनों के संन्यास ग्रहण के मार्ग को खोल दिया। अपने हाथों से ऐसी दीक्षाएँ दीं।

इसपर से पाठक देख सकेंगे कि जैन धर्म जैसे आत्मवादी धर्म के लिये बाल-दीक्षा एक सहज प्रसंग था और जन्म मरण की वास्तविकता को समझ लेने पर आज भी वह वैसा ही सहज प्रसंग हो सकता है। जब बालक अतिमुक्तक दीक्षा के लिये माता-पिता की आज्ञा लेने के लिये गया तो वे कहने लगे—“भाई! तू अभी छोटा है, अनसमझ है। धर्म सम्बन्ध में तू क्या जान सकता है?” बालक अतिमुक्तक कहता है “हे माता-पिता! मैं जो जानता हूँ, वह नहीं जानता, और जो नहीं जानता वह जानता हूँ।”

जब माता-पिता ने आश्चर्य प्रकट कर विशेष जानने की इच्छा प्रकट की तब बालक बोला :—“हे माता-पिता! मैं इतना जानता हूँ कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है, परन्तु कब, कहाँ, किस प्रकार और कितने समय के बाद मरना है, वह मैं नहीं जानता। जीव कितने कर्मा से नरक, पशु, पक्षी, देव, मनुष्य आदि योनियों में उत्पन्न होता है, वह मैं नहीं जानता, परन्तु अपने कर्मा से ही जीव अपनी अपनी जान व उत्पन्न होते हैं, यह मैं जानता हूँ।”

यह कह बालक ने फिर दीक्षा के लिये आज्ञा मांगी। जन्म-जरा-मृत्यु के भय से बालक भयभीत था। संसार से उसे उदासीनता हो चुकी थी। जन्म-मरण की वास्तविकता को समझने से वह दीक्षा के लिये समुद्यत हुआ। घर में मौजूद भोगों की ओर उसका झुकाव नहीं हुआ।

दीक्षा के कई प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें घर वालों की बात छोड़िये, राजा तकानक आते हैं और दीक्षा से पराङ्मुख करने की चेष्टा करने हुए, कहते

हैं :—“हे देवानुप्रिय तू भोगों का त्याग क्यों करता है ? मेरी छाया में रहकर तू सुख पूर्वक भोग भोग । तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे कह । मैं तुम्हारी सब तकलीफों को दूर करूँगा ।” जवाब मिलता है —“हे देवानुप्रिय ! जो तुम जीवन को नाश करने वाली मृत्यु का निवारण कर सकते हो, और शरीर के सौन्दर्य को विनाश करने वाला वृद्धावस्था को रोक सकते हो, तो जरूर तुम्हारी छाया में रह कर काम भोगों का भोग करूँ ।”

देव और दानव भी जिस मृत्यु को नहीं रोक सकते, उन्हे रोकने का कौन भोगों का दे सकता है ?

हे :—“मैं मृत्यु-भय की  
के सम्कारों का त्याग कर

दीक्षार्थी मृत्यु-भय  
और वैराग्य के योग्य  
मैं हूँ परम साध  
जैन धर्म में कोई वा

वीर सेवा मन्दिर  
पुस्तकालय

हता  
भोग  
गा है  
लक  
दी

मुद्रक—  
महालचन्द्र बघेद  
आसवाल प्रेम

१८६, क्रोम स्ट्रीट, कलकत्ता ।

